



2026:AHC:166802

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8106 वर्ष 2026

सलमान सिद्दीकी @ मोहम्मद सलमान सिद्दीकी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. जे. अख्तर, शहजाद आलम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. श्री वी.एम. जैदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री शाहजाद आलम, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपराध शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 81 वर्ष 2026, धारा 69, 318(2), 115(2), 351(3), 352, 191(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना बरनाहल, जनपद मैनपुरी में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि सूचनाकर्ता-पीड़िता द्वारा एक झूठी एवं निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि विवाह करने के झूठे वचन पर उसके साथ बलात्कार किया गया। यह पीड़िता का स्वीकृत मामला है कि वह लगभग 25 वर्ष की बालिग युवती थी और अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पिछले पांच वर्षों से आवेदक के संपर्क में थी तथा इस अवधि के दौरान दोनों के मध्य सहमति से संबंध थे। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टूटे हुए संबंध का परिणाम है और इसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से अंकित कराया गया। पीड़िता का कथन निरंतर बदलता रहा है और अभियोजन के मामले में अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि चक्षुदर्शी कथन चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पांच वर्ष की इस दीर्घ अवधि के दौरान पीड़िता ने आवेदक द्वारा उसके साथ किए गए कथित लैंगिक दुराचार के संबंध में पूर्णतः मौन धारण किए रखा। इसके अतिरिक्त, प्रथम कथित यौन संबंध की घटना और प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किए जाने तक पांच वर्ष तक संबंध बने रहने के बीच का लंबा अंतराल यह स्पष्ट करता है कि मामला प्रेम संबंध से संबंधित है। जब संबंध खराब हो गया, तब पीड़िता ने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई। दो वयस्कों के मध्य सहमति से बने संबंध को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक और पीड़िता के मध्य दिनांक 06.09.2021 को मुस्लिम रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं के अनुसार विवाह संपन्न हुआ था, जिसे पीड़िता ने आवेदक एवं पीड़िता द्वारा दिनांक 12.07.2023 को प्रस्तुत तलाक याचिका संख्या 516 वर्ष 2023 में स्वीकार किया है। चूंकि पक्षकारों के मध्य विवाह पहले ही संपन्न हो चुका है, अतः विवाह के झूठे वचन का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता द्वारा दिनांक 20.06.2025 को उपर्युक्त तलाक याचिका दिनांक 12.07.2023 को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अंकित कराई गई। उक्त तलाक याचिका दिनांक 15.12.2023 को अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दी गई। दिनांक 06.09.2021 को विवाह संपन्न होने तथा दिनांक 12.07.2023 को पारस्परिक सहमति से तलाक याचिका दायर किए जाने के तथ्य को पीड़िता ने आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने के उद्देश्य से जानबूझकर अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में छिपाया है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पहलू से विवाद नहीं किया।

7. मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी दलीलों को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

8. सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं एक अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को भयभीत करना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से फरार होने, जैसे देश छोड़ने आदि की संभावना पर विचार करना होता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने या उससे इंकार करने पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है।

9. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2022) 1 एस.सी.सी. 676 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी का अवसर तब उत्पन्न होता है, जब अभिरक्षा में विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की आशंका हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को असीमित क्षति हो सकती है। यदि विवेचक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा अथवा समन का उल्लंघन करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है।

10. महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य, (2024) 11 एस.सी.सी. 398 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जहाँ किसी महिला द्वारा लंबे समय अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तक जानबूझकर शारीरिक संबंध बनाए रखा गया हो, वहाँ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध केवल विवाह के कथित वचन के कारण ही था। विवाह के वचन के अतिरिक्त किसी महिला द्वारा पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद जैसे अन्य कारणों से भी शारीरिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं।

11. **प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, (2025) 5 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 764** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह कल्पना करना कठिन है कि शिकायतकर्ता उसकी ओर से स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अभियुक्त से लगातार मिलती रहती अथवा उसके साथ लंबे समय तक संपर्क या शारीरिक संबंध बनाए रखती।

12. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2528** के मामले में टिप्पणी की है कि अनेक अवसरों पर ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया है, जिसमें असफल या टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता का रंग दे दिया जाता है। बलात्कार का अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने के कारण केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहाँ वास्तविक लैंगिक हिंसा, जबरदस्ती अथवा स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक बिगड़े हुए संबंध को बलात्कार के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को कमतर करता है, बल्कि अभियुक्त पर अमित कलंक तथा गंभीर अन्याय भी आरोपित करता है। ऐसे मामले मात्र व्यक्तिगत मतभेद के क्षेत्र से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए गहन चिंता का विषय है, जो पहले ही भारी कार्यभार का सामना कर रही है, और ऐसे दुरुपयोग की निंदा की जानी चाहिए।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रजनीश सिंह @ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, 2025 (4) एस.सी.सी. 197** के मामले में अभिनिर्धारित किया कि जहाँ कोई महिला किसी पुरुष के साथ उसके स्वरूप से पूर्णतः अवगत होते हुए स्वेच्छा से दीर्घकालिक संबंध में रहती है और ऐसा दर्शाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि उक्त संबंध तथ्य के संबंध में भ्रांति अथवा प्रारंभ से ही दुर्भावनापूर्वक किए गए विवाह के झूठे वचन से प्रेरित था, वहाँ उस पुरुष को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

14. **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 154** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के अंतर्गत प्रस्तुत वास्तविक मामलों की पहचान करने में अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए तथा उक्त अपराध के गठन के लिए आवश्यक तत्वों की पहचान करनी चाहिए। ऐसे वास्तविक मामलों को उन वादों से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए जो सहमति देने वाले वयस्कों के मध्य सहमति से बने संबंधों से उत्पन्न होते हैं और जो विवाद एवं असहमति अथवा भविष्य में विचार बदल जाने के कारण कटु हो जाते हैं।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं एक अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1055 के मामले में टिप्पणी की है कि यदि दो सक्षम मस्तिष्क वाले वयस्क लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमति से संबंध बनाए थे और बाद में विवाह के वचन का पूरा न होना किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।

16. प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य, (2019) 9 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 608 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ विवाह करने का वचन झूठा हो और वचन देने वाले का वचन देते समय ही उसे पूरा करने का इरादा न हो, बल्कि महिला को धोखा देकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए राजी करना हो, वहाँ “तथ्य के संबंध में भ्रांति” उत्पन्न होती है, जो महिला की “सहमति” को दूषित करती है। तथापि, मात्र वचन का उल्लंघन झूठा वचन नहीं कहा जा सकता। अतः झूठे वचन को स्थापित करने के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक होगा कि वचन देने वाले का वचन देते समय ही उसे निभाने का कोई इरादा नहीं था।

17. सोनू @ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2021) 18 एस.सी.सी. 517 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कार्यवाही निरस्त कर दी कि अभियुक्त एवं पीड़िता के मध्य संबंध सहमति पर आधारित था और दोनों डेढ़ वर्ष की अवधि से संबंध में थे तथा बाद में अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी से विवाह करने की अनिच्छा व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हुई।

18. अग्रिम जमानत के संबंध में सुस्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा यह देखते हुए कि आवेदक का मामला उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।

19. तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है :-

(i) आवेदक-सलमान सिद्दीकी @ मोहम्मद सलमान सिद्दीकी की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर, संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचक अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना किए जाने के प्रयोजनार्थ जब भी आवश्यक हो, विवेचक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

20. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचक अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष समुचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

10 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।